



संख्या-1/2026/1523/2026/001-001-42-01099-104-2024

प्रेषक,

कुमार विनीत,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय:- जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/647739/2026, दिनांक 19.06.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1/1151529/2025, दिनांक 21.11.2025 द्वारा रुपये 392.94 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शासनादेश संख्या-2026/001-3807422026, दिनांक 16.01.2026 द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹0 63,39,00,000/- प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी। तदुपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-14-जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य " मद में व्यवस्थित धनराशि ₹0 7500.00 लाख में से उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित लागत ₹0 392.94 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि ₹0 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि ₹0 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए2-60-/दस2023-17(4)/75-, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जायेगी, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विक्षत प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित कर लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किशते पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायेंगी ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य पदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) प्रस्तुत प्रायोजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध भूमि 108 एकड़ में से इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हेतु लगभग 46 एकड़ भूमि का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा अवशेष 62 एकड़ भूमि में द्वितीय चरण के अन्तर्गत बैडमिन्टन, टेनिस, स्वीमिंग पूल, आर्चरी एवं शूटिंग आदि सुविधाएं निर्मित की जा सकती हैं। प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम को अन्य क्रिकेट एसोसिएशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप विकसित किया जाये। प्रशंगत स्टेडियम को मल्टीपरपज यूज सहित विकसित किया जायेगा, जिसमें अन्य खेलों के लिये प्रावधान, open बारात घर, व्यावसायिक दुकानें/काम्प्लेक्स, इत्यादि सम्मिलित हों, ताकि प्रायोजना सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। इसके अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्माणोपरान्त इसका संचालन पी0पी0पी0 माडल के रूप में हो सके। अतः निर्माण से पूर्व विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के उपरान्त आवश्यक संशोधनों को नियमानुसार समाहित कर लिया जाये।

(11) निदेशक, खेल, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा लो लाइंग एरिया होने के कारण भविष्य में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु समस्त आवश्यक उपाय कर लिये जायें तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी विषय विशेषज्ञों से भी परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि प्रबन्धन, राजस्व नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था व न्यायालयादेशों का अनुपालन आदि का दायित्व निदेशक, खेल, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनांक 07.10.2022 में ई0पी0सी0 कार्य को 18 माह में पूर्ण करने का प्राविधान है। कार्य की जटिलता एवं विशिष्टता के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को 18 माह के स्थान पर 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह के स्थान पर 24 माह किये जाने के दृष्टिगत जी0एफ0आर0 2017 के एपेन्डिक्स-11 में इंगित फार्मूला जी0एफ0आर0 2017 (संशोधित दिनांक 31.07.2022) की क्लाज-225 (VIII) तथा लो0नि0वि0 के शासनादेश 13/2020/492/23-7-2020-19 (सा0)/2019, दिनांक 16.06.2020 के क्रम में मूल्य परिवर्तन (Price Variation) हेतु निदेशक, खेल, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था स्वयं आश्वस्त होते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(14) प्रस्तावित प्रायोजना का निर्माण, यथा ग्राउण्ड साइज, मिनीमम बाउण्ड्री डिस्टेन्स, पिच डाइमेंशन (20.12x3 मी0), आउट फील्ड, सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग अरेन्जमेन्ट, लाइटिंग, पिच एवं प्रैक्टिस फैसिलिटीज, मीडिया एवं ब्राडकास्ट फैसिलिटीज, प्लेयर फैसिलिटीज एवं पार्किंग तथा ट्रांसपोर्ट इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। उक्त हेतु निदेशक, खेल की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें क्रिकेट जगत के विषय विशेषज्ञों इत्यादि को भी सम्मिलित किया जायेगा तथा इसी समिति की देख-रेख में निर्माण कार्य कराया जायेगा। शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/1377691/2026 दिनांक 29.06.2026 द्वारा निदेशक, खेल की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रु0 500.00 lakh की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, खेल, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आगणन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु बिड के माध्यम से कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, खेल, उ०प्र० द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 05 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त निदेशक, खेल, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक, खेल, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं/डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कन्सल्टेन्ट, कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल/तकनीकी सेल ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग का होगा।

(19) निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था/ तकनीकी सेल ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(21) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वाविरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(23) ₹0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनांक 07.10.2022 एवं शासनादेश संख्या-29/2023/बी-2-673/दस-2023, 19.10.2023 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(25) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था/तकनीकी सेल ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग की होगी तथा कार्यदायी संस्था/तकनीकी सेल ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग/निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(26) निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(27) निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(29) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(30) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(31) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(32) निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन /कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(34) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(35) निदेशक, खेल वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 02.01.2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार शासनादेश में उल्लिखित संस्था से थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) रिपोर्ट प्राप्त कर एक माह अन्दर शासन को उपलब्ध करायेगें तथा अगली किश्त की मांग प्रस्ताव के साथ थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) रिपोर्ट भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।

(36) निदेशक, खेल द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025 दिनांक 02.01.2026 एवं शासनादेश संख्या- 4/2026-ए-2-22/दस-2026/1960262/2026 दिनांक 07.05.2026 के अनुपालन में TRQC/TPQA से सम्बन्धित MoU तथा समस्त अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(37) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(38) शासनादेश संख्या-1/1151529/2025, दिनांक 21.11.2025, शासनादेश संख्या-2026/001-3807422026, दिनांक 16.01.2026 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038001400 जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधायित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या-1/2026/1523/2026/001-001-42-01099-104-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/गोरखपुर।
- 6- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 7- जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, गोरखपुर।
- 8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (भवन), पी०एम०जी०एस०वाई, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- 13- नियोजन विभाग-4।
- 14- सचिव, प्रबन्ध समिति, उ०प्र० स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
- 15- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।